न्यायालय तहसीलदार, चिड़ावा जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी ::: बृजेश कुमार (R.T.S.)
मिसल नं. ::: 40/2017
सरकार बनाम दयाराम पुत्र लिछमण राम जाति जाट निवासी किठाना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 13.10.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल दयाराम पुत्र लिछमण राम जाति जाट निवासी किठाना द्वारा ग्राम श्री अमरपुरा स्थित भूमि ख.नं. 54 कुल रकबा 15.07 हैक्टे किस्म गै.मु.जोहड़ में से 0.10 हैक्टे. पर खाई व डोल लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल द्वारा नोटिस लेने से इन्कार करने पर खुले मकान पर चस्पानगी से तामील प्राप्त है जो विधिवत तामील की श्रेणी में आती है। अतः बावजूद तामील गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपस्थित। गैर सालय ने लिखित जबाब पेश किया कि गैर सायल द्वारा किया गया अतिक्रमण हटा लिया गया है।

निर्णय हेतु पत्रावली का अवलोकन किया गया। भूमि की किस्म गै. मु. जोहड़ है जो माननीय उच्च न्यायालय की रीट सं. 1536/2003 अब्दूल रहमान बनाम राजस्थान सरकार वगैरह के निर्णय से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, जिस पर अतिक्रमी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानते हुए गैर सायल को उक्त विवादित रकबे पर अतिचारी घोषित किया जाता है एवं बेदखली आदेश दिया जाता है तथा आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान राशि 38 रू. पैनेल्टी आरोपित की जाती हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी करवाई जावें। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं बेदखली हेतु लिखा जावें। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

बृजेश कुमार
तहसीलदार चिड़ावा